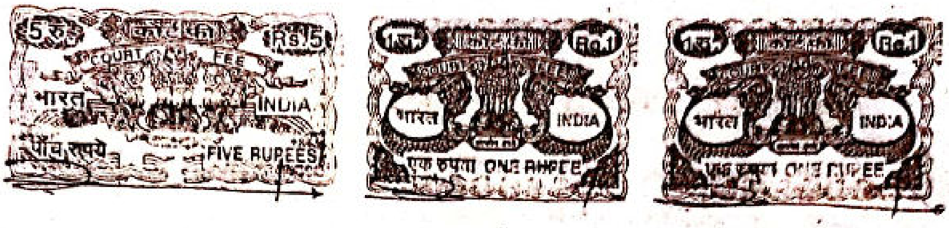

3-7-' [illegible]

मु० नं० 20150257051[illegible]

न्यायालय [illegible] न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय [illegible] [illegible]

श्रीमती ज्योत्सना सिंह बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०

ग्राम - वीरापुर

परगना व त० पट्टी जि० प्रतापगढ़

नि० ति० 16-1-15

कोई आपत्ति नहीं है

Jyotsana Singh

न्यायालय उपजिलाधिकारी रानीगंज, प्रतापगढ़

वाद सं0 : T201502570514 5 राय कृष्ण पाल सिंह महाविद्यालय बीरापुर, प्रतापगढ़
द्वारा प्रबन्धक श्रीमती ज्योत्सना सिंह पत्नी संजय सिंह
बनाम सरकार उ0प्र0 आदि
ग्राम–बीरापुर, परगना पट्टी,
तह0–रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।
अन्तर्गत धारा – 143 ज0वि0अधि0

निर्णय

प्रस्तुत वाद राय कृष्ण पाल सिंह महाविद्यालय बीरापुर, प्रतापगढ़ द्वारा प्रबन्धक श्रीमती ज्योत्सना सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी ग्राम–बीरापुर, परगना–पट्टी, तहसील–रानीगंज, जनपद–प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थिनी भूमि गाटा सं0–387/0.2390 हे0 में 1/2 अंश अजय पाल सिंह सुत देवीपाल सिंह का एवं संजय सिंह व विजय पाल सिंह सुतगण चौहरजा पाल सिंह के अंश का बैनामा महाविद्यालय के पक्ष में लिखा गया। बैनामा के आधार पर खतौनी में महाविद्यालय के नाम उक्त भूमि पर अंकित हो चुका है। महाविद्यालय की बैनामा शुदा भूमि स्थल पर बांउण्ड्रीवाल बनाकर अलग हो चुकी है। जिसके भीतर महाविद्यालय के लिए कमरों का निर्माण कराया जाय चुका है। बची हुई भूमि खेल–कूद के मैदान के लिए सुरक्षित है। द्वितीय पक्ष संख्या–03 के हिस्से की भूमि पूर्व से ही बटवारा करके पश्चिम तरफ पुरानी मेड़ से अलग है। महाविद्यालय की दीवाल से घिरी भूमि से द्वितीय पक्ष संख्या–03 से किसी प्रकार का वास्ता सरोकार नहीं है। महाविद्यालय से सम्बन्धित 1.033 हे0 कृषिक नहीं रह गयी है। उक्त भूमि चारो तरफ से ऊँची दीवाल बनाकर स्थल पर अलग करके कमरों का निर्माण एवं खेल–कूद के मैदान के रूप में प्रयोग में है। जिसे अकृषिक घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्त में महाविद्यालय के नाम दर्ज भूमि को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार रानीगंज से करायी गयी । तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 09.01.2015 संलग्न पत्रावली पर है। तहसीलदार ने आख्या दिया है कि ग्राम बीरापुर, तहसील रानीगंज की गाटा सं0–387/1.239 हे0 में से रकबा 1.033 हे0 भूमि पर महाविद्यालय की बाउण्ड्रीवाल चारो तरफ से बनाकर अलग की गयी है। उक्त रकबा 1.033 हे0 पर कृषिकार्य नहीं किया जा रहा है। अस्तु ज0वि0अधि0 की धारा–143 के तहत भूराजस्व से मुक्त कर गैर कृषि उपयोग हेतु प्रख्यापित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित सम्प्रेषित की गयी है।

---------2

DMR/262

Scanned with CamScanner

3-7' [illegible] कार्यवाही/

मु० नं० 201502570514 [illegible]

नकल आदेश न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय [illegible] जिला [illegible]

श्रीमती ज्योत्सना सिंह बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०

ग्राम - बीरपुर

परगना व तह० [illegible] जि० [illegible]

मु० दि० 16-2-15

कोई संशोधन नहीं है